कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्या :–

अनवान :–

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर बाबत जोजासर से सहजासर सडक किमी 0/0 से 3/0 हेतु दान की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने

वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या :– 927/2024

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
11.09.2024	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 2503 दिनांक 08.08.2024 द्वारा लिखा गया की जोजासर से सहजासर तक सडक निर्माण किया जाना हे जिस हेतु विभाग के पास कोई जमीन उपलब्ध नही थी स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयासों से शहर के प्रबुधजन नगरिकों ने जोजासर सें सहजासर किमी 0/0 से 3/0 तक सडक निर्माण हेतु 20 फुट जगह राज्य सरकार को बिना किसी हरजाने के समर्पित की है सडक हेतु काश्तकारों के द्वारा भूमि सर्मपण करने के साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है जो इस पत्र के सलग्न है अतः समर्पित की गई भूमि का नामान्करण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक 08.08.2024 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दर्ज किया जावे एवं पत्र में वर्णित भूमि की मौका जांच एव राजस्व रिकार्ड के अनुसार जाचं की जाकर जांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय नजरीय नक्शा प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 23.9.2024 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार नोहर से वाच्छित रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है वाच्छित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो ।	
18.10.2024	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार नोहर ने जरिये पत्रांक पत्रांक भू0अ0/24/7662 दिनांक 16.10.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 20 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पटवार मण्डल गंगोई की भूमि पर किसी प्रकार का विवाद स्थगन नही है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.10.2024 को पेश हो	
18.10.2024	पत्रावली पेश हुई हमने अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर एवं तहसीलदार नोहर को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 2503 दिनांक 08.08.2024 का पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार नोहर को अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 2503 दिनांक 08.08.2024 के पत्र की प्रति भिजवाई जाकर राजस्व रिकार्ड एव मौका की जांच कर नजरीय नक्शा एवं किस काश्तकार की कितनी भूमि समर्पित की गई है का हैक में विवरण एवं किसी न्यायालय का स्थगन आदेश एव विवाद के सम्बध में रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 7662 दिनांक 16.10.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 20 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है। जोजासर से सहजासर सडक किमी 0/0 से 3/0 किमी सडक निर्माण हेतु काश्तकारों के द्वारा [illegible] अपनी खातेदारी भूमि को सडक निर्माण के लिये समर्पित किया गया है साक्ष्य के तौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

पर शपथ पत्र पेश किया गया है तथा तहसीलदार नोहर ने समर्पण की गई भूमि के सम्बध में नजरीय नक्शा /जमाबन्दी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है

तहसीलदार नोहर /पटवार मण्डल गंगोई के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार काश्तकारों के द्वारा सडक निर्माण हेतु समर्पण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के निवेदन एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार जोजासर से सहजासर सडक किमी 0/0 से 3/0 तक सडक निर्माण हेतु पटवार मण्डल गांगोई के खातेदार काश्तकारों के द्वारा सर्मपण की गई भूमि का अंकन सार्वजनिक विभाग के नाम किया जाकर राजस्व नक्शा में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है सडक हेतु सर्मपण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested